संसद के समक्ष अभिभाषण – 12 मार्च 1990

लोक सभा	-	नौवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री आर. वेंकटरमन
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. शंकर दयाल शर्मा
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री रवि राय

माननीय सदस्यगण,

वर्ष 1990 में संसद के इस पहले अधिवेशन में आपका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्ता हो रही है। आपके सामने बजट और विधान कार्य हैं उनकी सफलता के साथ पूरा करने के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

हाल में नौ राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभाओं के लिए जो निर्वाचन हुए हैं, उनसे गत लोक सभा निर्वाचनों में परिवर्तन के पक्ष में जनता के निर्णय की सामान्यतः पुनः पुष्टि हुई है।

मेरी सरकार ने केवल सौ दिन पहले कार्यभार सम्भाला है। इस छोटे अर्से में, इसने बहुत से क्षेत्रों में जो वायदे किए थे, उन्हें पूरा करने के लिए पहले ही कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारी जनता ने जो अटूट विश्वास व्यक्त किया है, उसके अनुकुल मेरी सरकार कार्य कर रही है।

पिछले कुछ वर्षों में जम्मू-कश्मीर की जो हालत बिगड़ी थी, वह अभी भी गम्भीर बनी हुई है। सरकार ने इस बात पर चिन्ता जाहिर की है कि बाहरी ताकतों ने आतंकवाद को प्रोत्साहन देने, इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय समस्या का रूप देने और सीमा पर सुनियोजित ढंग से घुसपैठ कराने का प्रयास किया है। मेरी सरकार ने इन ताकतों के विरुद्ध दृढ़ता से काम लिया है। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और मेरी सरकार आन्तरिक मामलों में दूसरों का कोई हस्तक्षेप बर्दाशत नहीं करेगी। राज्य सरकार आतंकवाद और अलगाववाद पर काबू पाने तथा सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए

सभी संभव उपाय कर रही है। मेरी सरकार सभी जायज शिकायतों को दूर करने तथा राज्य में विकास संबंधी कार्य में तेजी लाने के लिए ठोस उपाय करेगी।

सरकार पंजाब में शांति स्थापित करने तथा राज्य के लोगों में विश्वास की भावना जगाने को उच्च प्राथमिकता देती है। ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनमें जनता के सभी वर्गों को शामिल किया जाए और आम सहमति तथा मेल-मिलाप की भावना से इस समस्या का हल ढूंढा जाए। राज्य प्रशासन दृढ़ और निष्पक्ष रहेगा और आतंकवाद तथा अलगाववाद के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार ने 59वें संविधान संशोधन को निरस्त करने का वचन पूरा कर दिया है जिसमें केवल इस राज्य पर आपात स्थिति लागू करने का विशेष प्रावधान था। मेरी सरकार सभी का सहयोग चाहती है ताकि इस राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पुनः बहाल करने के लिए अनुकूल स्थिति पैदा की जा सके।

हमें अपने राष्ट्रवाद के धर्मनिरपेक्ष आधार पर गर्व है। सरकार धर्मनिरपेक्षता की भावना को मजबूत करने के लिए उपाय कर रही है। राष्ट्रीय एकता परिषद् का पुनर्गठन किया गया है और जल्द ही इसकी बैठक होगी।

सरकार ने जबसे सत्ता संभाली है तबसे साम्प्रदायिक स्थिति में प्रत्यक्षतः सुधार हुआ है। मेरी सरकार ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए नए सिरे से पहल की है। इस संवेदनशील मामले का हल बातचीत तथा आम सहमति से ही निकाला जाना चाहिए। सरकार ने स्वीकार्य हल निकालने के लिए एक तीन-सदस्यीय समिति का गठन किया है।

सरकार ने 1984 में दिल्ली और 1989 में भागलपुर में हुए दंगों से पीड़ित लोगों सहित, साम्प्रदायिक हिंसा से प्रभावित लोगों को राहत देने और उन्हें फिर से बसाने के लिए कई कदम उठाए हैं। साम्प्रदायिक दंगों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए दिल्ली और मेरठ में विशेष अदालतों का गठन किया गया है। बिहार सरकार को भागलपुर में हुए दंगों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन करने के लिए कहा गया है। अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर पूरी नजर रखे हुए है। एक पैनल गठित किया गया है जो उर्दू के विकास के संबंध में गुजरात समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए सुझाव देगा।

राष्ट्र की अखण्डता को मजबूती प्रदान करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि केन्द्र और राज्य मिलकर सहयोग, सद्भाव और सौहार्द की भावना से काम करें। केन्द्र-राज्य के बीच मधुर संबंधों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् गठित करने का निर्णय लिया है। परिषद् की पहली बैठक जल्दी ही बुलाई जाएगी।

सरकार ने यह निर्णय लिया है कि क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण के अनुकूल दीर्घकालिक नीतियों को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का गठन किया जाए।

मेरी सरकार जनता को यह आश्वासन देना चाहेगी कि हमारी रक्षा संबंधी तैयारियों में कोई कमी नहीं है और सशस्त्र सेनाओं का मनोबल ऊंचा है। हम किसी भी प्रकार के बाहरी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पर पूरा ध्यान दिया जायेगा। सरकार भूतपूर्व सैनिकों के लिए "समान रैंक के लिए समान पेंशन" के प्रस्ताव के प्रति अपनी वचनबद्धता को कार्यान्वित करने के तरीकों की जांच कर रही है।

राष्ट्र और व्यक्ति की गरिमा वास्तव में सशक्त और गतिशील लोकतांत्रिक संस्थाओं में निहित है। ये हमारे सार्वजनिक जीवन के कुछ ठोस और स्थायी मूल्यों से जुड़ी हुई हैं। मेरी सरकार उन प्रवृत्तियों से संघर्ष करेगी, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं से उनका स्थायित्व और शक्ति छीन ली है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि हमारी निर्वाचन पद्धति, धन और बाहुबल के प्रभाव से मुक्त रहे। चुनाव सुधारों पर एक समिति गठित कर ली गई है, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और प्रख्यात व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है। "लोकपाल" संस्था बनाने के लिए संसद में एक विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया है। यहां तक कि देश के उच्चतम राजनीतिक पदों, जिनमें प्रधान मंत्री का पद भी शामिल है, को भी "लोकपाल" के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया जायेगा। सरकार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने के लिए एक उच्च-स्तरीय न्यायिक आयोग का गठन करने के लिये उपयुक्त विधान प्रस्तुत करेगी। मैंने, संसद को डाकघर (संशोधन) विधेयक पर पुनः विचार करने को भी कहा है। इस विधेयक से लोग काफी चिन्तित थे कि इससे नागरिकों के गोपनीयता अधिकार में गंभीर हस्तक्षेप होगा।

एक स्वतंत्र सूचना माध्यम, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शक्ति और स्थायित्व प्रदान करता है। मेरी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्वायत्तता मंजूर करने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं। संसद के पिछले सत्र में "प्रसार भारती विधेयक" प्रस्तुत किया गया था। सरकार प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। लोगों को सूचना प्राप्त करने के अधिकार की गारंटी देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे और सरकारी गोपनीयता अधिनियम में संशोधन के लिए विधान प्रस्तुत किया जाएगा।

अर्थव्यवस्था के लिए 1989-90 का वर्ष एक कठिन वर्ष रहा है। पिछले वर्ष की वृद्धि की तुलना में कृषि एवं उद्योग दोनों में उत्पादन की वृद्धि कम रही है। औद्योगिक क्षेत्र में विशेष रूप से मन्दी अधिक रही, प्रथम छह महीनों में औद्योगिक उत्पादन में केवल 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हो पायी। वृद्धि में कमी के साथ-साथ, पिछले कुछ वर्षों में व्यापक आर्थिक असन्तुलन और भी बढ़ गया है।

वर्ष 1989-90 के दौरान बजट की स्थिति में अत्यधिक गिरावट आयी। जब नई सरकार ने सत्ता संभाली तो बजट का घाटा 13,790 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका था। 1989 में कीमतों पर काफी दबाव पड़ा जबकि अच्छी फसल का यह दूसरा वर्ष था। भुगतान शेष में, जिस पर पहले ही वर्ष 1988-89 में दबाव था, वर्ष 1989-90 में काफी वित्तीय अन्तर बना रहा। बाहरी ऋण स्थिति और खराब हो गई।

कार्यभार संभालने के दिन से ही मेरी सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधार को उच्चतम प्राथमिकता दी है। चावल की खरीद 93.2 लाख मीट्रिक टन के नए कीर्तिमान तक पहुंच गई है। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का भंडार बढ़ा दिया गया है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के 83.4 लाख मीट्रिक टन की तुलना में अब 116.7 लाख मीट्रिक टन है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने तथा इस प्रणाली की कार्य पद्धति में सुधार लाने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। पिछले तीन महीनों में, जब से नई सरकार ने कार्यभार संभाला है—चावल, चीनी और चाय जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में पहले जो तेजी से वृद्धि हुई थी उनमें अब कमी के संकेत हैं। लेकिन सरकार को यह अच्छी तरह पता है कि मूल्य स्थिति कुल मिलाकर कठिन बनी हुई है। मूल्य स्थिति के क्षेत्र में किसी तरह की ढील नहीं दी जायेगी और आर्थिक प्रबंध में मुद्रास्फीति के नियंत्रण को हम प्रथम वरीयता देते रहेंगे।

भुगतान शेष की समस्या पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। यह समस्या देश के सामने मूल रूप से राजकोषीय संकट का द्योतक है और इस समस्या के समाधान के लिए राजकोषीय संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। इस बात की काफी गुंजाइश है कि आयात करने की बजाय हम उन चीजों का उत्पादन खुद करें और ऐसी बहुत सी जिन्सों की खपत को कम करें, जिनके लिए आयात पर हमारी निर्भरता बढ़ रही है। लेकिन विदेशों को किए जाने वाले भुगतान की कठिनाई के संबंध में हमारा स्थायी समाधान यही होगा कि हम अपने निर्यात संबंधी प्रयासों को अधिक मजबूती दें। चालू वर्ष में आयात की तुलना में निर्यात में तेजी से वृद्धि के निश्चित संकेत हैं। हमें अपने निर्यात अभियान में तीव्रता लाने के लिए लगातार एक सामूहिक राष्ट्रीय प्रयास करना होगा। आर्थिक प्रबंध की नीति में निर्यात में तेजी से वृद्धि, विशेषत: देश में अधिक मूल्य वर्धित माल के निर्यात को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। निर्यात में तेजी से वृद्धि करने के साथ-साथ कुशल आयात प्रतिस्थापन से यह सुनिश्चित होगा कि अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर विकास के पथ पर अग्रसर है। एक नई त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति अप्रैल में प्रारम्भ की जा रही है, जिनसे अनावश्यक विलम्ब होता है और भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। इस नीति में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जायेंगे।

योजना आयोग का पुनर्गठन किया गया है और इसने आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव पर कार्य करना शुरू कर दिया है। प्रस्ताव को जल्दी ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा और राष्ट्रीय विकास परिषद् के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य होगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, गरीबी दूर करने और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बढ़ रहे असंतुलन को समाप्त करने के महत्वपूर्ण उद्देश्यों पर विशेष ध्यान रखते हुए तीव्र गति से विकास सुनिश्चित करना। आठवीं योजना की मुख्य विशेषता होगी, संरचनात्मक और संस्थागत परिवर्तन लाना जिससे योजना का विकेन्द्रीकरण तथा योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

हमारे किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार हैं। उनकी उन्नति एवं खुशहाली से ही भारत शक्तिशाली और समृद्ध होगा। ग्रामीण क्षेत्र की आय में निरंतर वृद्धि औद्योगीकरण की सफलता की एक शर्त है। सरकार कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं तथा उनकी बुनियादी आर्थिक और सामाजिक जरूरतों की ओर विशेष ध्यान देगी। हमारा उद्देश्य होगा प्रमुख फसलों की पैदावार में विशेष रूप से बारानी और शुष्क भूमि वाले क्षेत्रों में काफी अधिक वृद्धि करना। सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है और इसके साथ-साथ विपणन सुविधाओं की भी पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए, सरकार उत्पादन लागत निर्धारित करने के सूत्र में आवश्यक परिवर्तन करेगी, ताकि सभी लागतों का पूरा हिसाब-किताब रखा जा सके। इस नई पद्धति को आगामी खरीफ मौसम के लिए घोषित किए जाने वाले समर्थन मूल्यों में प्रदर्शित किया जाएगा। सरकार कृषि संबंधी नीतियां तैयार करते समय भी किसान समुदाय के प्रतिनिधियों को शामिल करेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए, एक स्थायी कृषि समिति का गठन किया गया है, जिसमें किसान समुदाय के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। सरकार वास्तविक पंचायती राज प्रणाली के प्रति वचनबद्ध है, ताकि ग्रामीण जनता योजना एवं विकास कार्य में पूर्ण रूप से भाग ले सके। इस संबंध में विशेष प्रस्तावों और नगर निकायों से संबंधित प्रस्तावों को अन्तर्राज्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

हमारी कृषि नीति के लिए जल संसाधनों का विकास बहुत महत्वपूर्ण है और मेरी सरकार इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देगी। सरकार, अन्तर्राज्यीय जल-विवादों को संबंधित राज्यों के साथ बातचीत और आपसी समझौते के जरिए सुलझाने के लिए भी कृतसंकल्प है।

कृषि क्षेत्र की खुशहाली को कृषि संबंधी और अन्य ग्रामीण श्रमिकों के कल्याण कार्यों से अलग नहीं किया जा सकता। श्रमिकों का यह इतना बड़ा वर्ग अभी तक असंगठित और शोषित है। मेरी सरकार उन्हें उचित मजदूरी और ग्रामीण विकास कार्यों में व्यापक हिस्सेदारी देने की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। कमजोर वर्ग के प्रति हमारी जो वचनबद्धता है उसे शीघ्र पूरा करने के लिए भूमि सुधार संबंधी कुछ और कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जा रहा है ताकि निहित स्वार्थ रखने वालों से उनके हितों की रक्षा की जा सके। सरकार छोटे किसानों, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, कारीगरों और

बुनकरों के लिए 10,000 रुपये तक के कर्जों में राहत देने की योजना को भी आरंभ करना चाहती है। इस संबंध में एक विस्तृत योजना की घोषणा इसी सत्र में की जायेगी।

कृषि विकास में तेजी लाने के प्रयासों के साथ-साथ औद्योगिक विकास की गति में भी तेजी लाई जायेगी। मेरी सरकार की औद्योगिक नीतियां इस तरह की होंगी कि वृद्धि, उत्पादक रोजगार के विस्तार और संतुलित क्षेत्रीय विकास संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। औद्योगिक क्षेत्र के स्वस्थ विकास के लिए यह जरूरी है कि उत्पादकता में लगातार वृद्धि और प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण हो। हमारे उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक प्रतियोगी बनाया जाना चाहिए ताकि निर्यात निष्पादन में सतत विकास के लिए आधार प्रदान किया जा सके। मेरी सरकार देश के ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग का प्रसार सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी। स्थानीय संसाधनों और कौशल को काम में लाने तथा लाभकारी रोजगार के सृजन कार्य को सुविधामय बनाने के लिए लघु स्तरीय तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लघु उद्योग एवं कृषि व ग्रामीण उद्योग नामक एक नया विभाग स्थापित किया गया है।

मेरी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक महत्व देती है। इस क्षेत्र की उत्पादकता और निवेश योग्य संसाधनों के समुचित उत्पादन की इसकी क्षमता हमारे आर्थिक विकास के लिए अत्यावश्यक है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यात्मक स्वायत्तता सुनिश्चित करने और अनुकूल स्थिति पैदा करने के लिए वचनबद्ध है ताकि इस क्षेत्र की अधिकांश जनता के प्रति जवाबदेही हो और यह अपने कार्य को कुशलतापूर्वक कर सके। मेरी सरकार इस वर्ष सरकारी क्षेत्र के संबंध में श्वेत पत्र प्रस्तुत करेगी।

आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और अपनी जनता के विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने संबंधी हमारे प्रयासों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी निवेशों का प्रयोग रोजगार में वृद्धि करने और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाएगा। हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्रों, जैसे परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष अनुसंधान, उन्नत सामग्रियों और जैव-प्रौद्योगिकी आदि में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं और इन क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रयासों को सरकार की ओर से हर तरह से बढ़ावा दिया जाएगा। हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे विकास को मजबूती प्रदान करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है और उन्हें हमारा पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए। देशी प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम में उल्लेखनीय उपलब्धियां उनके समर्पित व प्रशंसनीय प्रयासों का ही परिणाम है और हमारे प्रौद्योगिक विकास की ऐतिहासिक घटनाएं हैं।

परिसम्पत्तियों के उत्पादन में श्रमिकों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है किन्तु फिर भी उनके हितों की प्राय: पर्याप्त रूप से रक्षा नहीं की जाती है। प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी से यह समस्या हल की जा सकती है और हम अधिक उत्पादकता का लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून पर विचार किया जा रहा है।

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेगी कि सभी नागरिकों को काम करने का अधिकार दिलाया जाए जिससे वे अपनी जीविका कमा सकें और राष्ट्र निर्माण के कार्य में भागीदार हो सकें। सरकार एक संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी जिससे काम करने के अधिकार को संविधान में एक मूल अधिकार के रूप में शामिल किया जा सके।

सतत विकास के लिए पर्यावरण की रक्षा करना अनिवार्य है। वनों जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते समय विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की मूल आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा। जनजातियों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

भोपाल गैस त्रासदी की स्मृति अभी भी ताजी है। इससे पीड़ित लोगों को राहत तथा मदद देने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है। मेरी सरकार भोपाल में 36 प्रभावित नगर वार्डों में रहने वाले गैस पीड़ितों को अंतरिम राहत देने के निर्णय की घोषणा पहले ही कर चुकी है। इस संबंध में दी जाने वाली अन्तरिम राहत की राशि 360 करोड़ रुपये है। विभिन्न सामाजिक कार्य ग्रुपों ने भोपाल गैस पीड़ितों को समुचित मुआवजा दिलाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं दायर की हैं। मेरी सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष उनकी याचिकाओं का समर्थन किया है और वह समुचित मुआवजा दिए जाने के लिए न्यायालय में उनके मुकदमें पर आगे कार्रवाई करेगी। सरकार ऐसा कानून भी बनाएगी जिसमें खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल करने वाली फैक्टरियों तथा संस्थानों के लिए न्यूनतम क्षतिपूर्ति बीमा कराना अनिवार्य होगा। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि इन संयंत्रों में होने वाली दुर्घटनाओं के शिकार निर्दोष लोगों को तत्काल राहत दी जाए।

हमारी जनसंख्या का एक चौथाई भाग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं। हम जब तक उन्हें सम्मान से नहीं जीने देंगे, तब तक हमारे राष्ट्र की वास्तविक रूप से उन्नति नहीं हो सकती। मेरी सरकार ऐसे आर्थिक तथा सामाजिक अन्यायों को, जिन्हें अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोग सहते आ रहे हैं, दूर करने के लिए निश्चित रचनात्मक कार्रवाई करने के लिए वचनबद्ध है। इस संबंध में शुरुआत हो गई है और पहले ही कई ठोस उपाय कर दिए गए हैं। लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अगले 10 वर्ष तक आरक्षण बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन कर दिया गया है। उन पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए जो कानून 1989 में पारित किया गया था परन्तु लागू नहीं हुआ था, उसे 30 जनवरी, 1990 से लागू कर दिया गया है। बौद्ध धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को वही सुविधाएं देकर उनकी चिरकालिक तथा न्यायोचित आकांक्षाएं पूरी करने का निर्णय लिया गया है, जो अनुसूचित जाति के लोगों को दी जाती हैं। इस निर्णय को लागू करने के लिए संसद के इस सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा। हमारे लिए अन्य पिछड़े वर्ग विशेष चिन्ता का एक और

विषय है और मण्डल आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर विचार करने के लिए मंत्रिमण्डल की एक समिति गठित की गई है।

हमारे समाज का एक वर्ग अत्यधिक भेदभाव का सामना कर रहा है यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है, इसे दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि सफाई वालों के लिए रोजगार के वैकल्पिक अवसर ढूंढ़ने के कार्यक्रम में तेजी लायी जाए।

विकलांगों के कल्याण की ओर मेरी सरकार का विशेष ध्यान है और उसका प्रस्ताव है कि विकलांगों के पुनर्वास संबंधी कार्यक्रमों को नई दिशा दी जाए।

भारतीय समाज में महिलाओं को बहुत कम अधिकार मिले हुए हैं। संवैधानिक समानता का अधिकार प्राप्त होने पर भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हमारी नीतियों एवं कार्यक्रमों का आधार कानून की दृष्टि से और दैनिक जीवन में महिलाओं की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना तथा उन्हें समानता प्रदान करना होगा। सरकार महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है।

समाज में परिवर्तन लाने के लिए युवावर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरी सरकार हमारे युवावर्ग से संबंधित विषयों तथा उनकी आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील है। हम अपने युवावर्ग से वास्तविक समानता तथा सामाजिक न्याय पर आधारित नए भारत का निर्माण करने की आशा करते हैं। युवावर्ग के प्रति समाज का विशेष दायित्व है। अत: उनको इस संबंध में यथासंभव अवसर प्रदान किए जाने चाहिएं। हम अपनी युवा संबंधी नीतियों को नया रूप देंगे ताकि उन्हें ग्रामीण युवावर्ग की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुकूल बनाया जा सके। सरकार ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के युवावर्ग को सहायता प्रदान करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा की ऊपरी आयु सीमा 26 वर्ष से बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी है।

जनता के पूर्ण विकास के लिए शिक्षा अनिवार्य है। लेकिन सबको साक्षर बनाने के अपने लक्ष्य से हम अभी बहुत दूर हैं। मेरी सरकार ने शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए कदम उठाए हैं, ताकि इसे हमारी जनता की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सके और सबको समान अवसर प्रदान किए जा सकें।

सुव्यवस्थित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकता है। सन् 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के निवारक और संवर्धनकारी पहलुओं पर और अधिक बल दिया जाएगा। हमारे आर्थिक लाभों और उपलब्धियों को सुदृढ़ बनाने तथा हमारी जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण रखना भी आवश्यक है। ऐसे ठोस कदम उठाना आवश्यक है जिससे इस क्षेत्र को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता परिलक्षित हो। इसके लिए राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता है।

हमारी विदेश नीति का आधार है गुट-निरपेक्षता के प्रति हमारी वचनबद्धता, और आधिपत्य, शोषण तथा युद्ध रहित शांतिपूर्ण विश्व की हमारी आकांक्षाएं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारी परिवर्तन हो रहे हैं और संघर्ष और टकराव का स्थान सहयोग और सहमति ले रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। नि:शस्त्रीकरण को बढ़ावा देने, शांति को सुदृढ़ करने, जातीय भेदभाव को दूर करने, पर्यावरण की सुरक्षा करने और अधिक न्यायोचित विश्व आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए विश्वव्यापी सहयोग के प्रयासों में हम अपना योगदान देना जारी रखेंगे।

मेरी सरकार पड़ोसियों से संबंधों को फिर से मजबूत बनाने को उच्च प्राथमिकता देती है और उसी के अनुरूप हमने अनसुलझी समस्याओं का परस्पर स्वीकार्य हल खोजने, अपनी मित्रता को सुदृढ़ करने और हमारे सहयोग के क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए और गहराई से बातचीत के लिए पहल की है। इन प्रयासों के परिणाम सामने आ रहे हैं।

भूटान नरेश की दो बार भारत यात्रा और व्यापार और वाणिज्य के नए समझौते से भूटान के साथ हमारे पारंपरिक घनिष्ठ संबंधों में और मजबूती प्रदर्शित होती है।

हाल ही में विदेश मंत्री की बांग्लादेश की यात्रा से, उस देश के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध मजबूत हुए हैं।

भारत-मालदीव संयुक्त आयोग की पहली बैठक माले में आयोजित करने से मालदीव के साथ हमारे अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध और भी प्रगाढ़ हुए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति इस माह भारत की सरकारी यात्रा पर आएंगे।

मेरी सरकार ने नेपाल के साथ अपनी सभी अनसुलझी समस्याओं के व्यापक समाधान के लिए शुरू में ही पहल की है। हाल ही में विदेश मंत्रियों के स्तर पर और अधिकारियों के स्तर पर की गई वार्ताओं के परिणामस्वरूप परस्पर हितों और समस्याओं के बारे में आपसी समझ और बढ़ी है। नेपाल की जनता के साथ हमारे घनिष्ठ और पुराने संबंधों में और मजबूती आएगी।

हमारी अधिकांश शांति सेना श्रीलंका से लौट आयी है और हम आशा करते हैं कि इस महीने के अंत तक शेष सेना की वापसी का काम भी विभिन्न चरणों में पूरा हो जाएगा। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने कठिन परिस्थितियों में अत्यंत सराहनीय कार्य किया है। मैं, राष्ट्र की ओर से, अपनी सशस्त्र सेनाओं की वीरता, समर्पण की भावना और अनुशासन तथा उनके बलिदानों की प्रशंसा करना चाहूंगा। भारत, श्रीलंका की एकता और अखंडता का समर्थन करता है। हम, श्रीलंका सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह भारत-श्रीलंका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरी तरह निभाएगी और अपनी तमिल-भाषी जनता की सुरक्षा, संरक्षा और उनकी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की पूर्ति सुनिश्चित करेगी। मेरी सरकार का विश्वास है कि ऐसा करना श्रीलंका में शांति,

श्रीलंका की जनता के सभी वर्गों में आपसी मेल-मिलाप और इस क्षेत्र में स्थिरता के हित में होगा।

दुर्भाग्य से, पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर तथा पंजाब में आतंकवादी और अलगाववादी शक्तियों को निरन्तर बढ़ावा देने और उनकी सहायता करने के परिणामस्वरूप, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों में तनाव आ गया है। मेरी सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि हम अपने आंतरिक मामलों में इस प्रकार के हस्तक्षेप को सहन नहीं करेंगे। हमने पाकिस्तान सरकार पर उस शिमला समझौते का पूर्णरूप से पालन करने की आवश्यकता के लिए जोर डाला है, जिससे शांति बनाए रखने और हमारे संबंधों को स्थायी आयाम प्रदान करने में सहायता मिली है। हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी समझदारीपूर्ण राय बनेगी जिससे शांति बनी रहेगी और हमें इस देश के साथ संबंधों को सामान्य बनाने में सहायता मिलेगी।

हमारा विश्वास है कि दक्षिण एशियाई देशों के बीच संबंधों को बातचीत, खुलेपन और सहयोग की सार्वभौमिक प्रवृत्तियों के अनुरूप बनाये रखा जाना चाहिए। ऐसे क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने में दक्षेस ने महत्वपूर्ण संस्थागत ढांचा प्रदान किया है। अपने क्षेत्र की जनता की सम्पूर्ण भलाई के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने हेतु हम दक्षेस के क्रियाकलापों का विस्तार करने की आशा करते हैं।

हम अफगानिस्तान के साथ अपने पारंपरिक संबंधों को बहुत अधिक महत्व देते हैं और इन संबंधों को और अधिक मजबूती प्रदान करने के प्रयास कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि जेनेवा समझौते को सख्ती से लागू कर अफगानिस्तान में हो रहे खून-खराबे को तुरन्त रोका जाएगा और स्वयं अफगानों द्वारा एक राजनैतिक समाधान ढूंढ़ा जाएगा जिससे संप्रभुतासंपन्न, स्वतंत्र और गुट-निरपेक्ष देश के रूप में अफगानिस्तान की रक्षा हो सके।

सोवियत संघ के साथ हमारी समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली व निरन्तर प्रगाढ़ होती गई मित्रता और बहुमुखी सहयोग-भावना में लगातार मजबूती आयी है। हमारे संबंध शांति, मैत्री और सहयोग संबंधी भारत-सोवियत संधि पर अच्छी तरह आधारित हैं। नाभिकीय हथियारों से मुक्त और अहिंसात्मक विश्व की कल्पना में सोवियत संघ के साथ हमारा घनिष्ठ विचार सामंजस्य परिलक्षित होता है।

अमरीका के साथ हमारे संबंध निरंतर सुधर रहे हैं और उनमें विविधता आ रही है। अमरीका इस समय व्यापार में हमारा प्रमुख भागीदार और उच्च प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण स्रोत है। विभिन्न देशों में हमारे बढ़ते हुए द्विपक्षीय संबंध, हमारे दोनों लोकतांत्रिक देशों के साझे उद्देश्यों और दीर्घकालिक हितों की आपसी समझ में अधिक परिपक्वता को परिलक्षित करते हैं।

भारत और चीन के बीच राजनयिक विचार–विनिमय की गति को बढ़ाया जा रहा है, जिससे एक–दूसरे के हित में पंचशील पर आधारित सहयोग को बढ़ावा मिला है। बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए चीन के विदेश मंत्री शीघ्र ही भारत आ रहे हैं। हम अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप सीमा–विवाद का उचित, तर्कसंगत और एक–दूसरे को स्वीकार्य समाधान ढूंढ़ने का अपना प्रयास जारी रखेंगे।

हम आशा करते हैं कि कंबोडिया में संघर्ष शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। एक ऐसा व्यापक समाधान होना चाहिए जो कंबोडिया की संप्रभुता और अखंडता के प्रति पूर्ण सम्मान पर आधारित हो तथा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अभी हाल की जन–संहारक नीतियों की पुनरावृत्ति न हो पाये।

यह बड़े संतोष की बात है कि नामीबिया की स्वतंत्रता के साथ ही अफ्रीका में उपनिवेशवाद का अंतिम दुर्ग अन्ततः ध्वस्त हो जाएगा। हमारे प्रधान मंत्री अगले सप्ताह नामीबिया में होने वाले स्वतंत्रता समारोहों में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में भी परिवर्तन के उत्साहवर्धक संकेत हैं। रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक, श्री नेल्सन मंडेला के रिहा होने की विश्वव्यापी खुशी में हम भी शरीक हैं और हम उनकी भारत–यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री मंडेला के स्वागत के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति बना दी गई है। मेरी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि दक्षिण अफ्रीका के शासन पर बराबर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालना आवश्यक है ताकि रंगभेद को शीघ्र ही समाप्त किया जा सके।

हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम साहसी फिलिस्तीनियों को शांतिपूर्ण पश्चिम एशिया में स्वदेश प्राप्त करने के उनके न्यायोचित संग्राम में अपना पूरा सहयोग जारी रखेंगे। हम राष्ट्रपति यासर अराफात की इस महीने भारत–यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

इस सत्र में विभिन्न उपायों पर सदस्यों को विचार करना है। रेल बजट और आम बजट आपके समक्ष रखे जाएंगे। आप वित्त विधेयक, 1990–91, प्रसार भारती (ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) विधेयक, 1989, लोकपाल विधेयक, 1989, वन्य जीव संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1990 और अन्य दूसरे विधायी उपायों पर भी विचार करेंगे।

आशा की नई किरण दिखाई दे रही है। मेरी सरकार एक मजबूत भारत का निर्माण करने के लिए सार्थक कार्य कर रही है—एक ऐसा भारत जो व्यक्ति की मर्यादा पर आधारित हो, एक ऐसा भारत जहां विकास का लाभ सभी को, विशेषरूप से कमजोर वर्गों और गरीब लोगों को मिले। यह कार्य आसान नहीं है। चुनौतियां जबरदस्त हैं। किन्तु विजय हमारी होगी। हम यह देखने के लिए कृतसंकल्प हैं कि हमारी जनता का भविष्य अधिक उज्ज्वल हो।

जय हिन्द।